

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.18(148)आईडब्ल्यूएमपी/आजभूस/2016/11094-11141 दिनांक : 09/09/2016

समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं
परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद

विषय :- संसाधनहीन लोगों, माइक्रो, लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु प्रशिक्षण, दक्षता वृद्धि एवं जीविकोपार्जन गतिविधि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संसाधनहीन लोगों, माइक्रो, लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु प्रशिक्षण, दक्षता वृद्धि एवं जीविकोपार्जन गतिविधियां आईडब्ल्यूएमपी परियोजनान्तर्गत अनुमत थी।


वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Watershed Component) (पूर्ववर्ति आईडब्ल्यूएमपी) में उपरोक्त गतिविधियां संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न संशय के क्रम में भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक Z-11011/32/2014-PPC(part-I) दिनांक 16.08.2016 के द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गाईडलाइन के परिशिष्ट-B में दी गई उपरोक्त सभी गतिविधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Watershed Component) के अन्तर्गत अनुमत है एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के किसी भी घटक के अन्तर्गत संचालित योजना में संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा वर्तमान में प्रचलित गाईडलाइन ही लागू होगी।
संलग्न : उपरोक्तानुसार


(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.18(148)आईडब्ल्यूएमपी/आजभूस/2016/11094-11141 दिनांक : 09/09/2016

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
7. ए.सी.पी., आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।


अतिरिक्त निदेशक (IWMP)